

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... २१४ जयपुर/20 09-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेहरन ज्योति पब्लिक -

मैरूथान, नारायण नगर, जयपुराशम गांव जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक..... 12 माह..... जून सन् दो हजार २१ (२००९)

को जयपुर में किया गया।



बी० के० वर्मा
रजिस्ट्रार संस्थाएं
संस्थाएं, जयपुर

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान

ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर

॥ दिनांक 02.12.2016 को निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कार्यकारिणी ॥

क्र.सं.	नाम मय पिता/पति	पता	पद
1.	राजेश कुमार बुनकर/धनश्याम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	अध्यक्ष
2.	ईश्वर लाल बुनकर/धनश्याम बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सचिव
3.	शिशुदयाल बुनकर/गंगाराम	ग्राम भानपुरकां, जिला जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	रामलाल मीणा/सांघतराम मीणा	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
5.	कृष्ण कुमार बुनकर/धनश्याम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
6.	चौधराम बुनकर/सीताराम	ग्राम भानपुरकां, जिला जयपुर	सदस्य
7.	सुरेश कुमार बुनकर/ओमप्रकाश	ग्राम भानपुरकां, जिला जयपुर	सदस्य
8.	राजेश्वर गहलोत/कालूराम	ग्राम भानपुरकां, जिला जयपुर	सदस्य
9.	रघुचन्द बुनकर/हनुमान सहाय	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
10.	डीतर मल मीणा/ग्यारसी लाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
11.	राजेश कुमार मीणा/डोटलाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
12.	मिश्रा लाल सैनी/बांछूराम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
13.	सुरेश कुमार शर्मा/अमरान सहाय	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
14.	निर्मल बुनकर/सदमण बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
15.	सुनिता अजयल/ईश्वर लाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
16.	मनमोहन मीणा/अमदीश मीणा	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
17.	सुरेश शर्मा/हनुमान सहाय शर्मा	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
18.	दीपेश बुनकर/राजेश कुमार बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
19.	योगेश्वरी कुमारी/हमन्त अजयल	6/301, विवाधर नगर, जयपुर	सदस्य
20.	मंगलराम मीणा/कानाराम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
21.	जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर द्वितीय, जयपुर		सदस्य

अध्यक्ष

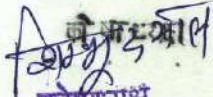
अध्यक्ष

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

सचिव

सचिव

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रपत्र

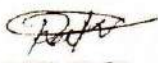
1

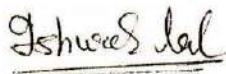
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
संस्था पंजीकृत कराने हेतु

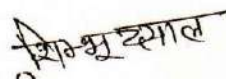
आदर्श
विधान (नियमावली)
तथा
संघ विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ के विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा की जाी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें यह भी ध्यान रखे कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।


(आशु)


मंजी


कोषाध्यक्ष

8. अनावश्यक को काटकर लघु हस्ताक्षर करे।

धारा -20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएँ

सैनिक अनाथ निधियां " खादी और ग्रामोद्योग "

साहित्य, विज्ञान या ललितकलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएँ, सदस्यों के

सामान्य उपयोग या जनता के लिए पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना

या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य

कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित

संस्थाएँ, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यांत्रिक और दार्शनिक

आविष्कारों, उपकरणों या डिजाइनों के लिए स्थापित संस्थाएँ।

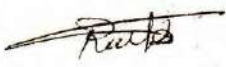


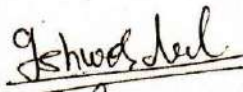
~~नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान संस्था~~ समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम ~~नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान संस्था~~ समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत


अध्यक्ष


मंत्री


सहायक

तथा कार्यक्षेत्र

जयपुर-क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:-

इस संस्था के निम्नलिखित

उद्देश्य हैं:-

1. बालकों के उत्कृष्टतम भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था
2. विद्यालय का चहुँमुखी विकास करना
3. भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना
4. बालकों को सिये गये बिलियों के आधार पर संस्था के द्वारा कार्य करना।
5. आस्थापन, अभिभावक संघ के सुझाव को ध्यान में रख कर उन्हें लागू करना।
6. बालकों की शिक्षा का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
7. राष्ट्रीयता के कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी

निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	निजी व्यवसाय	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	अध्यक्ष	Rakesh
2	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	आस्थापन	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	सचिव	Shweta Lal
3	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	निजी व्यवसाय	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	कोषाध्यक्ष	शिवेश कुमार
4	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	निजी व्यवसाय	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	शिवेश कुमार
5	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	आस्थापन	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	शिवेश कुमार
6	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	निजी व्यवसाय	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	शिवेश कुमार
7	शिवेश कुमार बुनकर पुत्र श्री वनप्रसाद	निजी व्यवसाय	आ.पो. नरदा बोया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	शिवेश कुमार

अध्यक्ष

Shweta Lal
मंत्री

शिवेश कुमार
कोषाध्यक्ष

8	राजेश कुमार राय पुत्र श्री कालु राम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	रजिन्द्र
9	रूपचन्द कनकर पुत्र श्री हनुमान	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	रूपचन्द
10	हनुमान मीणा पुत्र श्री बासीलाल	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	हनुमान
11	राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री धोतीलाल	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	रजिन्द्र
12	मिर्जा लाल मीणा पुत्र श्री कालु राम	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	मिर्जा लाल
13	मिर्जा लाल मीणा पुत्र श्री कालु राम	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	मिर्जा लाल

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है,

इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:-

क्रम संख्या	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	लालकु बुनकर श्री श्री कुन्दन बुनकर	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	Bablu
2.	मोहनश बुनकर श्री श्री सोतीराम	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	Yogesh
3.	अजय मीणा श्री श्री सोतीराम	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	अजय
4.	जनवारी लाल मीणा श्री श्री सोतीराम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	जनवारी लाल मीणा
5.	श्याम सुन्दर बुनकर श्री श्री कालु राम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	श्याम सुन्दर
6.	हनुमान राय मीणा श्री लच्छू राम राय	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	हनुमान
7.	रजिन्द्र राय श्री नाथन राय	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	रजिन्द्र
8.	गोपाल लाल मीणा श्री श्री गोपाल मीणा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	गोपाल
9.	जगदीश प्रसाद मीणा श्री श्री गोपाल मीणा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	जगदीश प्रसाद
10.	रजिन्द्र मीणा श्री श्री अमरनाथ राय	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	रजिन्द्र
11.	मितेन्द्र मीणा श्री श्री कालु राम मीणा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	मितेन्द्र मीणा
12.	अशोक कुमार खीची श्री श्री लखन खीची	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	अशोक कुमार
13.	लखन खीची श्री श्री लखन खीची	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	लखन खीची
14.	गोपाल लाल मीणा श्री श्री महादेव पुराण	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	गोपाल
15.	जय प्रकाश मीणा पुत्र श्री बासीलाल	अध्योपन	ग्रा.पो. नतावा वागा - आमेर जिला - जयपुर	जय प्रकाश

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

Rajy
अध्यक्ष

Shivachal
मंत्री

मिर्जा काल
कोषाध्यक्ष

1. हस्ताक्षर —————

लालाराम
2 हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

नाम - छान्दगाम लुनकर / छातलुनकर नाम - लालाराम मीणा ^{Sl 0} कल्याण सहाय मीणा

व्यवसाय - नौकरी (BSNL) Rm

व्यवसाय - नौकरी (आपकारी विभाग)

पूर्ण पता - ग्रा.पो. नटाटा

पूर्ण पता - ग्रा.पो. नटाटा

वाया - आमेर

मोहल्ला - सिडाला की टाणी

जिला - जयपुर

वाया - आमेर

जिला - जयपुर

पिन कोड नं. 302028

NOTES
20/01/2020

नेहरू ज्योति पब्लिक सैरान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान नियमावली

1. संस्था का पंजीयन नं.	218
2. संस्था का नाम	नेहरू ज्योति पब्लिक
3. संस्था का पता	नटाटा
4. संस्था का जिला	जयपुर
5. संस्था का पिन कोड नं.	302028

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम नेहरू ज्योति पब्लिक सैरान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नटाटा है

कार्यक्षेत्र जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बालकों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था
2. विद्यालय का चहुँमुखी विकास करना
3. भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना
4. बैठकों में लिये गये निर्णयों के आधार पर संस्था के हित कार्य करना।
5. आध्यात्मिक आर्गनाइजेशन के सुझाव आमंत्रित कर उन्हें लागू करना।
6. बालकों की शिक्षा का समय-समय पर मूल्यांकन करना।

Prakash
अध्यक्ष

Usharani Lal
मंत्री

शिवशु दयाल
कीर्ण अध्यक्ष

7. शास्त्रीयता के कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाना)
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे
संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

बालिग हो।

पागल, दीवालिये न हो।

संस्था के उद्देश्यों में रु. 5. चि व आस्था रखते हों।

संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:-

वर्गीकरण

1. संरक्षक

विशिष्ट

सम्माननीय

साधारण

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा

प्रदत्त शुल्क

निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-

व चन्दा

संरक्षक राशि—1100 वार्षिक/आजन्म

विशिष्ट राशि—500 वार्षिक/आजन्म

सम्माननीय राशि—25 वार्षिक

साधारण राशि—10 वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रु. 1952

मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

मृत्यु होने पर

त्याग पत्र देने पर

संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर



Rak
अध्यक्ष

Yashwanth Lal
मंत्री

शिवभूषण
की अध्यक्ष

प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर -अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे-

प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

वार्षिक बजट पारित करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें :- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर

विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

साधारण की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।

बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, केलिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना, अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये

Reddy
अध्यक्ष

Johurul Lal
मंत्री

विष्णु दयाल
कोषाध्यक्ष

जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा,

जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

अध्यक्ष- एक

उपाध्यक्ष- एक

मंत्री- एक

कोषाध्यक्ष- एक

सदस्य- सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्यकुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2. चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य:- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-

सदस्य बनाना / निष्कासित करना।

वार्षिक बजट तैयार करना।

संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।



Rakesh
अध्यक्ष

Ganesh Lal
मंत्री

शिशु दयाल
कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी बैठकें:-

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम — बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य:- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

1. अध्यक्ष:

बैठकों की अध्यक्षता करना।
मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना
बैठकें आहूत करना।
संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्ष:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मंत्री:

बैठकें आहूत करना।
कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।



Rak
अध्यक्ष

Ghoshal Lal
मंत्री

शिवशु दयाल
कीर्षाध्यक्ष

वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

पत्र व्यवहार करना।

सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4. उप मंत्री:

मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष:

वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

चन्द / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष:-संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:-

चन्दा

शुल्क

अनुदान

सहायता

राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेगी।

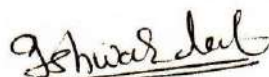
अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

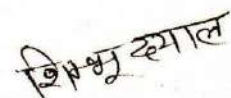
17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार:- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे:-

अध्यक्ष— 2,000 —रु०

मंत्री— 1,000 —रु०


अध्यक्ष


मंत्री


कोषाध्यक्ष



कोषाध्यक्ष—1000—रु0

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण:- संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धन:- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन:- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं—जयपुर— को संस्था के रिकार्ड लेखे जोखेके निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958

की धारा 19 के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेजों को पृष्ठ सं. 12 से पृष्ठ 12 तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 19/06/84
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

1. संस्था का विधान लेखक	2.18
2. संस्था का नाम	नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति
3. संस्था का पता	जयपुर
4. कोषाध्यक्ष	...
5. निरीक्षक	12.1.6/04
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार	...

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

अध्यक्ष

मंजी

कोषाध्यक्ष